यह निरीक्षण प्रतिवेदन उपसचिव मुख्यमंत्री कार्यालय (लेखा अनुभाग 4649) उत्तराखंड शासन देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

उपसचिव मुख्यमंत्री कार्यालय (लेखा अनुभाग 4649) उत्तराखंड शासन देहरादून के अभिलेखों की लेखा-परीक्षा श्री के० एस० चौहान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चंद पर्यवेक्षक एवं श्री कुलदीप सिंह पँवार लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 11-07-2020 से 20-07-2020 तक श्री पी० के० गुप्ता वरिष्ठ लेखा-परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2019 से माह 06/2020 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गयी ।

1. **भाग-I परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री पवन कोठारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 15.07.2019 से 22.07.2019 तक संपादित की गयी, जिसमें 01/2018 से 06/2019 तक के लेखाओं की जाँच की गयी।

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रःदेहरादून

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्था.	गैर स्था.	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधि.	बचत	आधि.	बचत/समर्पित
2017-18	-	-	-	-	4500.00	4061.86	-	-	-	438.14
2018-19	-	-	-	-	5000.00	4520.63	-	-	-	479.37

2019-20	**-**	**-**	**-**	**-**	**2524.98**	**2121.98**	**-**	**-**	**-**	**403.00**

(ब) Autonomous Bodies की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति: **लागू नहीं**

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण: **शून्य**

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

सचिव
अपर सचिव
संयुक्त सचिव
उप-सचिव
अनुसचिव
अनुभाग अधिकारी
समीक्षा अधिकारी
सहायक समीक्षा अधिकारी

(ii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में उपसचिव मुख्यमंत्री कार्यालय (लेखा अनुभाग 4649) उत्तराखंड शासन देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन उपसचिव मुख्यमंत्री कार्यालय (लेखा अनुभाग 4649) उत्तराखंड शासन देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। जनवरी 2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया तथा सभी मुख्य कार्यों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम,

1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13,** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग दो ब

प्रस्तर 01:. घोषणाओं से सम्बन्धित धनराशि रू 13341.00 लाख आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से आंवटित/व्यय न होना एवं व्यय धनराशि बी०एम० 04 में उल्लेख न होना।

उत्तराखण्ड़ शासन मुख्यमत्री कार्यालय अनुभाग–4 संख्या 131/×××v-4/2016 देहरादून, दिनॉक 01 जनवरी 2016 के अनुसार मुख्यमत्री की द्योषणाओं के लिए अनु सचिव को आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित किया गया है।

कार्यालय उप सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय (लेखा अनुभाग 4649) उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून के धोषणा से सम्बन्धित अभिलेखों की जाचॅ में पाया गया कि वर्ष 2017–18 से वर्ष 2020–21 (जून 2020) तक अनुभाग द्वारा प्रदेश के जनपदों के जिलाधिकारियों को रू 13341.00 लाख की धनराशि आंवटित/व्यय की गयी है। द्योषणाओं के व्यय से सम्बन्धित प्रकिया आहरण एवं वितरण अधिकारी से न होकर प्रत्यक्ष रूप से वित्त विभाग के माध्यम सें किया जा रहा है तथा व्यय धनराशि इकाई के बी एम 04 में प्रदर्शित भी नही हो रही है। नियमानुसार समस्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों को एक ही डी डी ओ अधिकारी के माध्यम से अग्रसित होनी चाहिए थी एवं प्रश्नगत मद में आवंटित धनराशि भी बीएम 04 में प्रदर्शित होना चाहिए। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नही किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अवगत कराया कि **निदेशक कोषागार** द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में नया साफ्टवेयर डेवलव होने के कारण धनराशि बीएम 04 में प्रदर्शित नही हो पाया।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्योंकि उत्तराखण्ड़ शासन मुख्यमत्री कार्यालय अनुभाग–4 संख्या 131/×××v-4/2016 देहरादून, दिनॉक 01 जनवरी 2016 के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी अनु सचिव को नामित किया गया था। जबकि द्योषणाओं से सम्बन्धित आहरण एवं वितरण वित्त विभाग के माध्यम सें किया जा रहा है एवं धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी के बी एम 4 में प्रदिर्शित नही हो रही है जो कि नियमानुसार नही है।

अतः घोषणाओं से सम्बन्धित धनराशि रू 13341.00 लाख आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से आंवटित/व्यय न होना एवं व्यय धनराशि बी०एम० 04 में उल्लेख न होने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग -दो"अ"प्रस्तर संख्या	भाग -दो"ब" प्रस्तर संख्या	पू0 न0 ले0 टिप्पणी प्रस्तर सं0
42/2013-14	**01**	**-**	**-**
73/2017-18	**1,2,3**	**1,2,3(अ) 3(ब)**	**-**
14/2019-20		**1,2,3(A) 3(B)**	**-**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
42/ 2013–14	भाग–दो प्रस्तर 01 मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से रू 15. 60 करोड़ का अनियमित स्वीकृति एवं भुगतान।	अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई I	अतः प्रस्तर यथावत रखा जाता है I	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(शून्य)

भाग - V

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उपसचिव मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **शून्य**
   सतत् अनियमितताए नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में शामिल की गई हैं।
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री डी० के० लोहुमी	उपसचिव
(ii)	श्री प्रदीप सिंह रावत	उपसचिव

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखा परीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हे नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी मे सम्मिलित कर एक प्रति उपसचिव मुख्यमंत्री कार्यालय (लेखा अनुभाग 4649) उत्तराखंड शासन देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उप-महालेखाकार/एएमजी-III कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखंड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी / ए.एम.जी.-III